गंगाशील महाविद्यालय

(सम्बद्ध : म.ज्यो.फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा
2 (एफ) एवं 12 (बी) में स्वीकृत

विवरण पत्रिका

सरस्वती वन्दना

या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना।
या ब्रह्माच्युतशंङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ।।१।।

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनी
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्
हस्ते स्फाटिकमालिकां विद्धतीं पद्मासने संस्थिताम्
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ।।२।।

वेदवाणी

ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं
सं वो मनांसीजानताम्

देवा भागं यथा पूर्वे
सञ्जानाना उपासते।।

-ऋग्वेद

भावार्थ

हम सभी प्रेम से मिलकर चलें,
मिलकर बोलें और ज्ञानी बनें।
अपने पूर्वजों की भाँति हम सभी
कर्तव्यों का पालन करें।

कुलगीत

गंगा सा निर्मल और पावन,
परिसर हरित भव्य मन भावन।
निर्देशनरत कुशल प्रबन्धन,
सफल सतत् अध्ययन–अध्यापन।

सत्य, प्रेम, सौहार्द, समन्वय,
सहिष्णुता, सद्भाव, समर्पण।
जीवन–मूल्य करें नित अर्जित,
राष्ट्र–प्रेम हित करते अर्पण।

सरस्वती का कृपा पात्र है,
मूल्यपरक शिक्षा का आलय।
नवल ज्ञान की है यह ज्योति,
गंगाशील महाविद्यालय।

रचनाकार :
डॉ. एन.एल. शर्मा

हमारे प्रेरक

पूज्य पिता
श्री गंगाचरण आर्य

पूज्य माँ
श्रीमती शीलवती माहेश्वरी

मानवता के उपासक, आर्य मूल्यों के पोषक,
दायित्वों के प्रति सजग, कर्तव्यों के प्रति समर्पित,
कर्म के प्रति निष्ठावान्, पूज्य माँ एवं पिताश्री,
जिनकी सरस एवं उदात्त भावधारा
मेरे संस्कारों में सतत् प्रवाहमान् है,
उन्हीं की प्रेरणास्पद स्मृतियों को सश्रद्ध समर्पित।

-डॉ. एन.के. गुप्ता

डॉ. एन.के. गुप्ता
सचिव
प्रबन्ध समिति

मेरा सपना.....

शिक्षालय देवालय तुल्य होते हैं, जहाँ विद्यार्थी गुरुजनों के सानिध्य में ज्ञान साधना करते हैं। ज्ञान साधना से साधारण जन भी असाधारण प्रतिभा सम्पन्न होकर अपने देश, क्षेत्र व समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बरेली जनपद में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएँ देते हुए क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान मुझे महसूस हुआ कि नवाबगंज क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त एवं आधुनिक संसाधनों से सम्पन्न एक शैक्षिक संस्थान की महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही मैंने अपनी जीवन संगिनी डॉ. शशिबाला राठी, जिनके पास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और प्रशासन का दीर्घकालीन अनुभव है, के सहयोग से गंगाशील महाविद्यालय की स्थापना की। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गंगाशील महाविद्यालय अपना 9वां वर्ष पूर्ण कर 10वां शैक्षिक सत्र प्रारम्भ करने की तैयारी में उत्साहपूर्वक लगा हुआ है। 9 वर्षों में महाविद्यालय ने जो उपलब्धियाँ अर्जित की हैं, मुझे उन पर गर्व है। मैं आशा करता हूँ कि गंगाशील महाविद्यालय नवाबगंज क्षेत्र के अभावों से जूझते छात्र/छात्राओं की शिक्षा–दीक्षा में आने वाले अवरोधों को दूर करते हुए उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा एवं संस्कार देने में समर्थ होगा और जीवन–संग्राम में उतरने के लिए संघर्षशील, संवदेनशील, विनयशील, धैर्यवान, मानवताप्रिय, देशभक्त एवं श्रेष्ठ नागरिक बनने को अभिप्रेरित करेगा। यह मेरा सपना है और इस सपने को साकार करने के लिए मुझे महाविद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य से बड़ी उम्मीद है कि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण सदुपयोग करते हुए मेरे सपने को साकार करने में पूरा–पूरा सहयोग देंगे। ऐसा मेरा विश्वास है । नवीन शैक्षिक सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मेरी अनन्त शुभकामनाएँ।

-डॉ. एन.के. गुप्ता

प्रिय विद्यार्थियों,

उच्च शिक्षा के पायदान पर कदम रखने और उत्साह के साथ निरन्तर आगे बढ़ने पर, कोटि-कोटि शुभकामनाएँ।

आप सब से यह बात साझा करते हुए मन बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा है कि महाविद्यालय नौ वर्ष पूर्ण कर दसवें शैक्षणिक सत्र में प्रवेश करने को तैयार है। विगत नौ वर्षों में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनसे मैं बहुत आशान्वित हूँ। पिछड़े क्षेत्र और न्यूनतम संसाधनों के बीच रहते हुए भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को प्रदान की जाने वाली इंस्पायर फैलोशिप के लिए महाविद्यालय के छात्र चयनित हो चुके हैं। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु आई. आई. टी., एन.आई.डी. जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भी अपना स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न संकटकालीन परिस्थितियों ने विद्यार्थी, शिक्षक और महाविद्यालय प्रशासन के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थी, हमने इन चुनौतियों के बीच से ही अवसर तलाशे और अपना रास्ता भी स्वयं ही बनाया एवं अपनी यात्रा को विजय यात्रा में बदल दिया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में भी हमारे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के निर्देशन में सफलता प्राप्त करेंगे और हम आपके उज्ज्वल भविष्य की निर्माण प्रक्रिया में सदैव आपके सहयोगी बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे और आने वाली बाधाओं को यथासंभव दूर करने का प्रयास करेंगे।

अनन्त शुभकामनाओं सहित !

डॉ० शशि बाला राठी

डॉ. शशि बाला राठी

प्रबन्ध निदेशिका

गंगाशील महाविद्यालय

फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली

डॉ. दुरेश चन्द

निदेशक

गंगाशील महाविद्यालय

फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली

प्रिय विद्यार्थियों,

उच्चतर माध्यिमक शिक्षा को सफलता पूर्वक प्राप्त कर उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। आपकी मनोगत समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण हों।

'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वह है, जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या के मुक्ति प्रदायी होने में ही सार्थकता है। यह मुक्ति मात्र सांसारिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अज्ञान, रोग, शोक, ईर्ष्या, दोष, छल, कपट, हिंसा, घृणा परनिर्भरता, निराशा इत्यादि समस्त दोषों से मुक्ति हमें शिक्षा ही दिला सकती है। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्तम शिक्षालय का चुनाव अत्यावश्यक है। गंगाशील महाविद्यालय अपने विद्यार्थियों में बुराई दूर कर उनमें अच्छाईयाँ लाने के पवित्र उद्देश्य के साथ ही स्थापित हुआ है। अत: महाविद्यालय परिवार की हार्दिक अभिलाषा है कि उसके विद्यार्थी जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करें और परिवार, समाज, क्षेत्र और देश का गौरव बढ़ाएं।

21वीं सदी में आज विश्व पटल पर बड़े-बड़े परिवर्तन देखे जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तनों से इंकार नहीं किया जा सकता और भविष्य में वे शिक्षण संस्थान ही अग्रणी भूमिका निभा पायेंगे जो अपेक्षित परिवर्तनों को आत्मसात् करके विद्यार्थियों को मौलिक एवं अनुसंधानपरक ज्ञान प्रदान करेंगे।

गंगाशील महाविद्यालय नई शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत उच्च शिक्षा में नवीन परिवर्तनों को संज्ञान में लेते हुए अपने को तैयार कर रहा है, यथा ई-व्याख्यान, वर्चुअल क्लास रूम, ई-पाठ्य सामग्री, ई-समूह चर्चा आदि नवीन तकनीकों का सहारा लेते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जायेगी।

नवीन शिक्षण सत्र में हम नवागत छात्र-छात्राओं का स्वागत करते हैं और अभिभावकों को आश्वस्त करते हैं कि अपने पुत्र-पुत्रियों की अग्रिम उत्तम उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा गंगाशील महाविद्यालय को चुनना अपने पाल्यों के भविष्य के लिए श्रेष्ठ निर्णय है क्योंकि महाविद्यालय पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से अपने योग्य एवं विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें राष्ट्र का सफल एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए संकल्पवान है।

मैं महाविद्यालय में प्रवेश की अभिलाषा से पधारे समस्त विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभेच्छु

-डॉ. दुरेश चन्द

प्राचार्य की कलम से...

डॉ. सीमा चतुर्वेदी
प्राचार्या
गंगाशील महाविद्यालय
फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली

प्रिय छात्र/छात्राओं,

परीक्षा में सफल होने पर आप सभी को मेरी शुभकामनायें और इस उपलब्धि के लिए बधाई।

विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्।।

(अर्थात : विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है)

उपर्युक्त श्लोक यह सन्देश प्रतिपादित करता है कि शिक्षा मनुष्यों में विभिन्न गुणों को विकसित करती है। जिससे व्यक्ति जीवन में यश, कीर्ति को प्राप्त करता है। शिक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गंगाशील महाविद्यालय की स्थापना की गई है।

महाविद्यालय का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को तैयार करना है जो अपने वातावरण के साथ मिलकर सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक, अनुशासित और भविष्य में परिवर्तित चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार हो। एक संस्था के रूप में हम ज्ञान के साथ-साथ मानवीय गुणों के विकास पर बल देते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में किस प्रकार की शिक्षा प्रदत्त की जाये इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय नवीन शिक्षण तकनीकि, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर रहा है। साथ ही विभिन्न विषयों में सेमीनार का आयोजन महाविद्यालय में होता है। जिसमें देश के प्रत्येक कोने से शिक्षाविद् प्रतिभाग करते हैं और शिक्षा में सम्भावित परिवर्तनों की रूप-रेखा विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

गंगाशील महाविद्यालय विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास करने के लिये संकल्पबद्ध है।

नवीन सत्र में उच्च शिक्षा के स्वर्णिम पथ पर अग्रसर महाविद्यालय परिवार का सदस्य बनने के इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं का मैं सादर अभिनन्दन करती हूँ।

Chaturvedi

डॉ. सीमा चतुर्वेदी

अति आवश्यक सूचना

उपस्थिति से सम्बन्धित नियम

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। शासनादेश में की गई व्यवस्था के अनुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली के निर्देशानुसार महाविद्यालय को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं की उपस्थिति का मासिक विवरण अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने तथा माहवार विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश हैं।

शासनादेश के अनुरूप महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक सिस्टम से ली जायेगी। सभी छात्र/छात्राओं को इसका पालन करना होगा।

रैगिंग से सम्बन्धित नियम

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षण संस्थाओं में जो भी छात्र/छात्रा रैगिंग में लिप्त पाए जाएंगे उनका प्रवेश निरस्त कर उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया जायेगा। कॉलेज द्वारा रैगिंग के मामले की एफ.आई.आर. तत्काल दर्ज कराई जाएगी।

सूचना संप्रेषण सम्बन्धी नियम

प्रत्येक छात्र/छात्रा की अपनी ई-मेल आई.डी. एवं व्हाट्सएप संचालित मोबाइल नम्बर होना परमावश्यक है। महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं एवं छात्र-छात्राओं को पाठ्य सामग्री का कुछ अंश एवं व्याख्यान ई-मेल एवं व्हाट्सएप द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। गलत मोबाइल नम्बर देने या नम्बर बदलने के कारण सूचना प्राप्त न होने पर होने वाली परेशानी के लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।

हमारा पाथेय

★ सतत् शिक्षण : अनवरत कक्षा संचालन

★ नकल विहीन परीक्षा का संचालन

★ नवीनतम पैडागोगी का प्रयोग

★ ऑनलाइन एड्यूकेशन

★ वर्चुअल क्लास रूम की व्यवस्था

★ स्मार्ट क्लास रूम का संचालन

★ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण एवं समेकित विकास

★ समय-समय पर टैस्ट एवं परीक्षाओं का आयोजन

★ विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन

★ शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन

★ विद्यार्थियों को समनुदेशन (Assignment) द्वारा सतत् अध्ययन के लिए प्रेरित करना

★ राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, महापुरुषों की जयंती व पुण्य तिथि पर विद्यार्थियों को महापुरुषों के जीवन-दर्शन से अवगत कराना

★ अन्तर्महाविद्यालयीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन।

★ अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।

★ चित्रकला एवं गृह विज्ञान विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन।

★ शिक्षकों को विषयों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु शिक्षक व्याख्यान शृंखला का आयोजन

गंगाशील महाविद्यालय–एक परिचय

सन् 2015 में स्थापित गंगाशील महाविद्यालय, फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) से सम्बद्ध एक नवीन महाविद्यालय है, जो अभी अपनी बाल्यावस्था में है। गंगाशील महाविद्यालय की स्थापना बरेली परिक्षेत्र के प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित वरिष्ठ चिकित्सक, समाज सेवी एवं 'गंगाशील अस्पताल एवं संस्थान समूह' के अध्यक्ष डॉ. एन.के. गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापरक आदर्श शिक्षा के प्रचार–प्रसार के महान उद्देश्य को लेकर की गयी। गंगाशील महाविद्यालय की भौगोलिक स्थिति, अत्यधिक चित्ताकर्षक और प्रत्येक दृष्टि से अनुकूल है। गंगाशील महाविद्यालय सैटेलाइट बस अड्डा बरेली से 25 किमी. दूर पीलीभीत मार्ग पर नवाबगंज तहसील से पांच किलो मीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग–74 के किनारे, नगर के कोलाहल से मुक्त शान्तिपूर्ण सुरम्य प्राकृतिक वातावरण के मध्य 15250 वर्ग मीटर के विस्तृत भू–भाग पर फैला हुआ है। आवागमन की दृष्टि से यह स्थिति अति सुविधाजनक है।

महाविद्यालय परिसर में व्याप्त प्राकृतिक सौन्दर्य देखते ही बनता है। नाना प्रकार के पेड़–पौधों और पुष्पों की सुवास से सुवासित महाविद्यालय परिसर आगन्तुकों को सहज ही आकर्षित करता है। महाविद्यालय के प्रांगण से प्रातः कालीन अरुणाई का दर्शन अद्भुत आनन्द की अनुभूति कराता है। महाविद्यालय द्वार के दोनों ओर निर्मित भित्तिचित्र पथिकों एवं आगन्तुकों को सहजभाव से आकर्षित करते हैं; तो विकसित उद्यान की मखमली घास अपनी गोद में विश्राम का निमंत्रण देती प्रतीत होती है। महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही वहाँ की प्रातःकालीन शुद्ध शीतल समीर एवं हरियाली मन में ऐसी उमंग और उल्लास भर देती है कि शरीर की स्फूर्ति एवं कार्यक्षमता में स्वतः दो गुना वृद्धि हो जाती है। महाविद्यालय का ऐसा हरीतिमायुक्त, फल–फूल से समृद्ध, स्वच्छ परिसर विद्यार्थियों एवं आचार्यों के अध्ययन–अध्यापन हेतु अनुकूल एवं सुरम्य वातावरण का निर्माण करता है। महाविद्यालय के ऐसे आकर्षक, सुरम्य–अनुकूल प्राकृतिक एवं शैक्षिक वातावरण को देखकर प्रतीत होता है कि गंगाशील महाविद्यालय नालन्दा एवं तक्षशिला की गौरवमयी परम्परा को पुनर्जीवित करने के पावन प्रयास में सतत् प्रयत्नशील है।

संस्थान का कुशल प्रबन्धन संस्थान को सफलता के उच्चतम सोपान तक ले जा सकता है। गंगाशील महाविद्यालय का प्रबन्धन ऐसे दृढ़ आस्थावान, समर्पित, प्रशासकीय क्षमताओं से भरपूर और अनुभवी हाथों में है, जिन्हें शिक्षा के प्रचार–प्रसार, अध्ययन–अध्यापन, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में अनेक प्रतिमान स्थापित करने के लिए शिक्षा जगत में अति आदर और सम्मान के साथ स्थान दिया जाता है। महाविद्यालय प्रबन्धन की इस शीर्ष शृंखला में उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थान साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली की पूर्व प्राचार्या डॉ. शशिबाला राठी जी गंगाशील महाविद्यालय के प्रबन्ध निदेशिका के पद को सुशोभित कर रही हैं, जिन्होंने चित्रकला विषय के अध्ययन–अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित किये तथा अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय को भव्यता और नयी ऊँचाईयाँ प्रदान कीं। इसी शृंखला की अगली मजबूत कड़ी के रूप में महाविद्यालय के महानिदेशक के पद को स्व. डॉ. एन.एल. शर्मा जी ने वर्ष 2018 से 2024 तक सुशोभित किया है जो बरेली मण्डल के

सबसे प्राचीन, प्रतिष्ठित एवं विशाल उच्च शिक्षण संस्थान बरेली कॉलेज, बरेली में प्राचार्य एवं वाणिज्य संकाय के अधिष्ठाता के रूप में अपनी महनीय सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं। डॉ. एन.एल. शर्मा वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबन्धन के क्षेत्र में एक ऐसा प्रामाणिक हस्ताक्षर हैं, जिनकी कई पुस्तकें स्नातक–परास्नातक स्तर पर अध्ययन–अध्यापन हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों में सन्दर्भ–ग्रन्थ के रूप में स्वीकृत हैं। इसी शृंखला की एक और मजबूत कड़ी डॉ. दुरेश चन्द निदेशक पद से महाविद्यालय को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में उच्च अकादमिक उपलब्धियों से सम्पन्न डॉ. दुरेश चन्द जी अपने विद्यार्थियों के मध्य एक कुशल, सफल एवं सहृदय अध्यापक के रूप में पहचान रखते हैं। कुशलतापूर्ण अध्यापन के साथ ही वे उ.प्र. के कई राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य जैसे गरिमापूर्ण उच्च पद पर अपनी महनीय सेवाएँ प्रदान कर चुके हैं। डॉ. सीमा चतुर्वेदी महाविद्यालय के प्राचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं। कुशल प्रशासन होने के साथ आप समाजशास्त्र की विषय विशेषज्ञ भी हैं। महाविद्यालय आपको पाकर धन्य और प्रफुल्लित है। ऐसे अनुभवी शिक्षाविद् महानुभावों के हाथों से संचालित यह महाविद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कृत संकल्पित है और निश्चित ही निकट भविष्य में गंगाशील महाविद्यालय शिक्षा जगत का एक सुपरिचित, प्रतिष्ठित और ऊँचा नाम होगा।

वर्तमान में अधिकतर स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थान दिग्भ्रमित होकर नकारात्मक दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं, जो स्वयं पथभ्रष्ट होकर देश की संभावनाशील प्रतिभावान पीढ़ी को भी पथभ्रष्ट ही नहीं पंगु (विकलांग) भी बना रहे हैं और चिन्ता का विषय यह है कि ये कदम बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। नकारात्मक दिशा में बढ़े ये कदम भारतीय संस्कृति और स्वस्थ परम्पराओं के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसे नकारात्मक शैक्षिक वातावरण में शिक्षा क्रय–विक्रय की वस्तु भर बनकर रह गयी है और ज्ञानार्जन की पवित्र लालसा, गुरु–शिष्य के सम्बन्धों की आदर्श परम्परा दिन–प्रतिदिन दम तोड़ती दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसे समय में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देते हुए गंगाशील महाविद्यालय नितान्त समाजसेवा, गुणवत्तापरक शिक्षा के प्रचार–प्रसार, शिक्षा जगत में नये मानक स्थापित करने और मानवता का अभिनन्दन करने के महान उद्देश्य के साथ स्थापित हुआ है।

महाविद्यालय प्रबन्धन ज्ञान की महिमा से भलीभाँति परिचित है। ऋग्वेद की ऋचा **'आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः'** अर्थात् हमारे लिए सब ओर से कल्याणकारी विचार आएँ (Let noble thoughts come to us from every side) में महाविद्यालय प्रबन्धन की परम आस्था है क्योंकि विश्वकल्याण की कामना ज्ञान की ज्योति के प्रसार से ही सम्भव है। वस्तुतः ज्ञान की ज्योति तिमिरनाशक है और तिमिर विनाश के साथ ही कल्याणपथ प्रशस्त होता है। इसीलिए महाविद्यालय में समय–समय पर अपने–अपने क्षेत्र के अधिकारी विद्वानों का आगमन होता रहता है और महाभारत में महर्षि व्यास द्वारा कथित **'महाजनो येन गतः स पन्थाः'** जीवन सूत्र भी सिद्ध होता रहता है। महाविद्यालय प्रबन्धन ज्ञान की पवित्र ज्योति और उसके प्रसारक–रक्षक गुरुजनों के प्रति परम आस्थावान है, जिसका अनुमान महाविद्यालय के ध्येय वाक्य (लोगो) **'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत'** अर्थात् उठो, जागो और वरिष्ठजनों (श्रेष्ठ) से ज्ञान प्राप्त करो, से सहज ही लगाया जा सकता है। गंगाशील महाविद्यालय अपने छात्र/छात्राओं को वरिष्ठ जनों से ज्ञान प्राप्त करने का स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए अपने स्थापना दिवस से ही दृढ़ संकल्पित है।

महाविद्यालय का वैशिष्ट्य

पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में संचालित संकाय एवं विषय विवरण

(म.ज्यो.फु. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)

विज्ञान संकाय

- बी.एस-सी. (बायो ग्रुप)
- बी.एस-सी. (मैथ्स ग्रुप)
- बी.एस-सी. (गृह विज्ञान)
- एम.एस-सी. रसायनशास्त्र
- एम.एस-सी. वनस्पतिशास्त्र
- एम.एस-सी. गणित
- एम.एस-सी. (गृह विज्ञान)

वाणिज्य संकाय

- बी.कॉम.
- बी.कॉम. ऑनर्स

कला संकाय

- बी.ए. – चित्रकला, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास
- एम.ए. शिक्षाशास्त्र
- एम.ए. चित्रकला
- एम.ए. भूगोल
- एम.ए. गृह विज्ञान

भाषा संकाय

- हिन्दी
- अंग्रेजी

कला स्नातक (बी.ए.) स्तर (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) के विषय चयन करने से पूर्व विद्यार्थी निम्न सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अनिवार्य विषय

1. **Vocational Subjects (रोजगार परक/कौशल विकास) पाठ्यक्रम – प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ सेमेस्टर में पूरा करना होगा।**
2. **अनिवार्य विषय Co-curricular Subjects (सह पाठ्यक्रम विषय) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, प्रत्येक सेमेस्टर में एक विषय।**

विषय चयन हेतु निर्देश

1. **विद्यार्थी को प्रवेश के समय विभिन्न संकायों (कला/विज्ञान/वाणिज्य/भाषा) से एक संकाय का चुनाव करना होगा।**
2. **यदि विद्यार्थी किसी संकाय के तीन मेजर (मुख्य) विषयों का चुनाव करता है तो उसे एक माइनर (गौण) विषय अन्य संकाय से लेना होगा।**
3. **यदि विद्यार्थी अपने मुख्य संकाय से दो विषय चयनित करता है तो तीसरा मुख्य विषय अन्य संकाय से लेना होगा एवं माइनर विषय का चुनाव अपने संकाय से करना होगा।**

महाविद्यालय में संचालित त्रैमासिक प्रमाण–पत्र कार्यक्रम

1. मशरूम उत्पादन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
2. English Learning and Speaking Certificate Course.
3. हिन्दी भाषा में वर्तनी शुद्धिकरण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
4. ज्यूलरी डिजाइनिंग प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम
5. कम्प्यूटर में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम

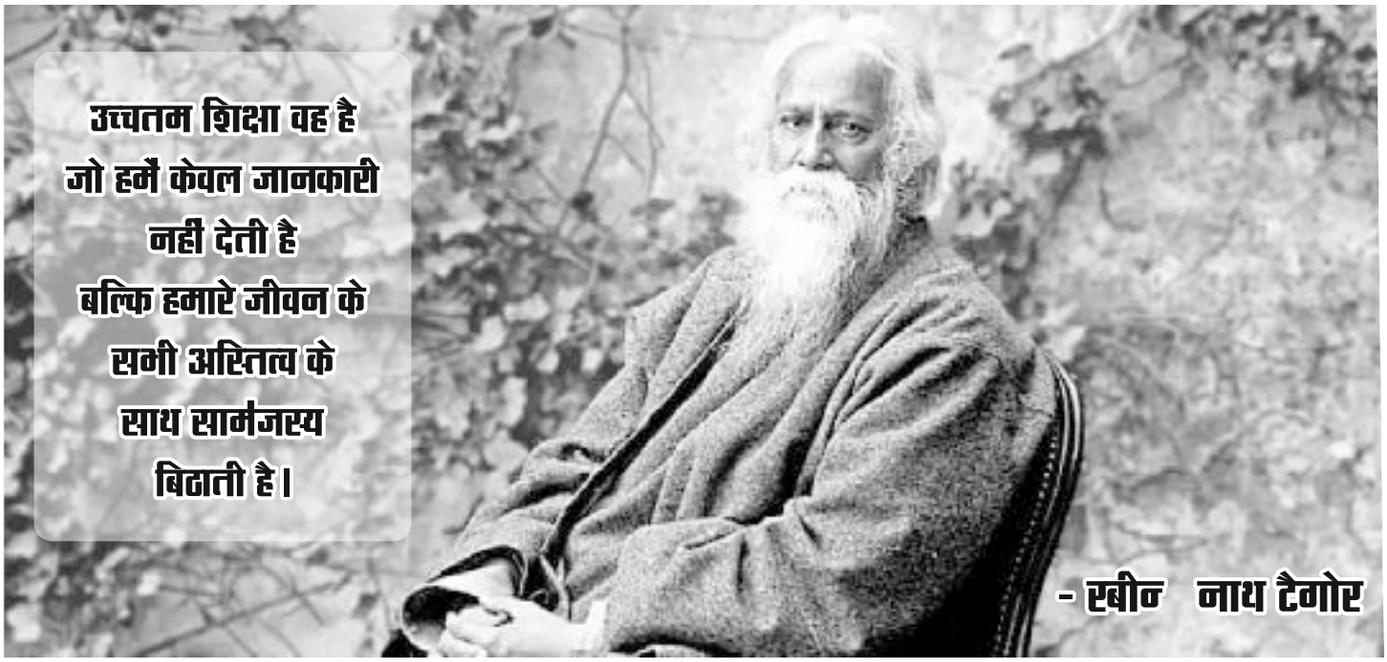

पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप

छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर पाठ्य सहगामी क्रिया-कलापों का आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय, राज्य स्तरीय व महाविद्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता रहा है। अन्य महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में आयोजित पाठ्य-सहगामी कार्यक्रमों में भी महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं व शिक्षक वर्ग की प्रशंसनीय भागीदारी रहती है।

अतिथि व्याख्यान

देश के सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविदों, समीक्षकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, अन्वेषकों, कलाविदों, अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों तथा विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर महाविद्यालय अतिथि व्याख्यानों का निरन्तर आयोजन करता है। उनके उच्च स्तरीय ज्ञान व गहन अनुभव से छात्र-छात्राएं व शिक्षक तो लाभान्वित होते ही हैं, साथ ही समस्त महाविद्यालय प्रांगण भी कृतार्थ होता है। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 21 पर)

संगोष्ठी व सम्मेलन

महाविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठियों व सम्मेलनों में विश्व भर के विभिन्न देशों के विद्वजनों की सहभागिता रही है, जिससे नवाबगंज जैसे ग्रामीण परिक्षेत्र में होते हुए भी यह महाविद्यालय वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहा है व उपलब्धियों को अर्जित कर रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से महाविद्यालय के विद्यार्थी देश-विदेश के विद्वानों से रूबरू होते हैं। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 38 पर)

संगोष्ठियों के साथ ही महाविद्यालय द्वारा अंतर्जाल संगोष्ठी (बेबिनार) का आयोजन भी वृहद स्तर पर किया गया है। अब तक गंगाशील महाविद्यालय को कई स्वनामधन्य शीर्षस्थ शिक्षाविद् महानुभावों का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है जो अत्यन्त हर्ष व गौरव का विषय है।

प्रदर्शनी

महाविद्यालय के कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय द्वारा वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा निर्मित कलाकृतियों व शिल्प प्रदर्शित किये जाते हैं। राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 (लखनऊ) व गंगाशील महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी, कला-आचार्य कला प्रदर्शनी व अन्य प्रदत्त कार्यक्रमों का आयोजन भी निरन्तर किया जाता रहा है, जिसमें अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकार, कला समीक्षक व कला प्रेमी आमंत्रित किए जाते हैं। देश की संस्कृति, कला व ज्ञान-थाती के संरक्षण व संवर्धन में इन आयोजनों की महती भूमिका है। महाविद्यालय परिसर में अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एक कला-वीथिका भी स्थापित की गयी है। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 35,36,37 पर)

कार्यशाला

समस्त विभागों द्वारा विषयों को सुदृढ़ व सहज बनाने हेतु विविध कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा 'मशरूम उत्पादन कार्यशाला', गृह विज्ञान विभाग द्वारा 'बैग मेकिंग' व 'छपाई कार्यशाला', चित्रकला विभाग द्वारा 'मधुबनी कला कार्यशाला', ज्यूलरी डिजाइनिंग कार्यशाला व मूर्तिकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य ललित कला अकादमी, उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त 'ग्रीष्मकालीन कला कार्यशाला' का आयोजन भी निरन्तर किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त जैम-जैली निर्माण की कार्यशाला में भी विद्यार्थियों की विशेष भागीदारी रही है। इस प्रकार की कार्यशालाएं समाज के लिए महाविद्यालय की एक अनोखी उपलब्धि हैं जो विद्यार्थियों को स्वनिर्भरता प्रदान कर रही हैं। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 35,37 पर)

प्रतियोगिताएं

सभी संकायों द्वारा विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष भर किया जाता है। क्विज़ (प्रश्नमंच), चित्रकला, पोस्टर, कार्टून, स्लोगन लेखन, लोगो डिजाइनिंग, स्वरचित काव्यपाठ, कविता, नाटक, निबन्ध, रंगोली, व्यंजन कला, मेंहदी, सिलाई, कढ़ाई व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन छात्र-छात्राओं के समुचित विकास में सहायक है। उनकी अंतर्निहित प्रतिभा को उभारने, उनके व्यक्तित्व को निखारने व उनमें आत्मविश्वास पैदा करने में इनकी महती भूमिका है।

महाविद्यालय के विद्यार्थी केवल महाविद्यालयीय व स्थानीय ही नहीं, वरन् राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं तथा उनमें विशेष स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय एवं स्वयं का नाम भी प्रतिष्ठित करते हैं। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 35, 36, 37,39 पर)

डिमॉन्स्ट्रेशन

समस्त विभागों में डिमॉन्स्ट्रेशन द्वारा विषय के प्रयोगात्मक पक्ष को प्रभावशाली ढंग से छात्र-छात्राओं के सम्मुख रखा जाता है। महाविद्यालय के आचार्य तथा सुदूर राज्यों के विषय-विशेषज्ञ आमंत्रित कर डिमॉन्स्ट्रेशन सम्पन्न कराये जाते हैं। साथ ही महाविद्यालय के आचार्यगण भी डिमॉन्स्ट्रेशन हेतु अन्य संस्थानों में आमंत्रित किए जाते हैं। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 37 पर)

शिक्षक विकास कार्यक्रम

महाविद्यालय में प्रत्येक शनिवार को शिक्षक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें महाविद्यालय के आचार्यगण अंतर्विषयक दृष्टिकोण के साथ व्याख्यान व चर्चा में सम्मिलित होते हैं। गंगाशील महाविद्यालय ने विभिन्न महाविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किये हैं तथा उन संस्थाओं के साथ परस्पर सम्बद्ध रहते हुए शिक्षकों के व्याख्यान का आदान-प्रदान भी किया जाता है। अन्य संस्थानों के आचार्य महाविद्यालय में व्याख्यान व डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और महाविद्यालय के आचार्यों को भी अन्य संस्थानों व विश्वविद्यालय में व्याखान हेतु आमंत्रित किया जाता है।

बाह्य विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से भी शिक्षकों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Course) आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के FDP (Faculty Developmnent Program) में भी महाविद्यालय के शिक्षकों की प्रतिभागिता रही है।

उक्त कार्यक्रम शिक्षकों को नवीन व अद्यतन ज्ञान, तकनीक तथा प्राविधियों से अवगत कराते हैं, जिससे शिक्षण का स्तर सदैव उत्कृष्ट बना रहता है। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 22 पर)

शैक्षिक भ्रमण

छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा शैक्षिक-भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अहिच्छत्र (आंवला), ओसवाल चीनी मिल, हर्बल गार्डन कमुआ आदि स्थानों पर ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामों में तथा अन्य महाविद्यालयों व विश्वविद्यालय में भी भ्रमण कराया जाता है। जिससे विद्यार्थी अन्य स्थलों व बाह्य संस्थानों से भी ज्ञानार्जन का लाभ ले सकें। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 35 पर)

सांस्कृतिक कार्यक्रम

महाविद्यालय द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। मतदाता जागरूकता सप्ताह के दौरान क्षेत्रीय मतदाताओं को जागरूक करने हेतु स्वरचित गीत, नृत्य व नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी महाविद्यालय द्वारा किया गया। जिसकी वीडियो बरेली विकास प्राधिकरण की बेवसाइट पर प्रदर्शित की गई व जन-सामान्य द्वारा इस प्रयास की अत्यन्त प्रशंसा हुई। मतदाता जागरूकता हेतु एक विशाल आकार का हस्तनिर्मित चित्र भी महाविद्यालय में सृजित किया गया व सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु तत्कालीन सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण को भेंट किया गया।

बरेली में प्रधानमंत्री जी के मेगा रोड शो कार्यक्रम में 'राम दरबार' कार्यक्रम की झलकी प्रस्तुत की गई, जिसको रोड शो में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व जन-सामान्य द्वारा अत्यन्त सराहा गया। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 33, 34 पर)

शैक्षिक विस्तार कार्यक्रम

शिक्षा और समाज को सम्बद्ध करते हुए महाविद्यालय द्वारा शैक्षिक विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें छात्र-छात्राओं व शिक्षक समाज के मध्य जाकर वहां पर अकादमिक सर्वेक्षण व शोध करते हैं। मोटे अनाज (Milets) के प्रति जन-सामान्य की जागरूकता व सर्वेक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम व एड्स के प्रति जागरूकता सरीखे कार्यक्रम आस पास के गांवों में किये जाते हैं। जिससे न केवल जनमानस को जागरूक किया जाता है वरन् उनकी सम-सामयिक दशा पर अनुसंधान भी किया गया है। महाविद्यालय के निकट परिक्षेत्र में प्राप्त नदियों के जल को संग्रहित कर वैज्ञानिक अध्ययन किया गया तथा उस पर एक रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को सौंपी गई।

महाविद्यालय की छात्र-छात्रायें गांव में गये व वहां की दीवारों पर चित्र निर्मित किये। साथ ही वहां की ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनायी जाने वाली पराम्परागत लोकचित्रण परम्परा को भी सीखा। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 34 पर)

सिफ्सा (SIFPSA)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित State Innovation in Family Planning Services Project के अन्तर्गत महाविद्यालय में वर्ष

2019 में एक यूथ फ्रेंडली क्लीनिक (Q Club) स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य युवाओं के शारीरिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य की समस्याओं का निवारण करना था। वर्ष 2022 में सिफ्सा द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्रोजेक्ट भी महाविद्यालय को प्रदान किया गया। इसके अन्तर्गत महाविद्यालय में समय-समय पर डाक्टर्स विजिट, साइक्लोजिस्ट विजिट व लैक्चर्स के साथ भी कार्यशालायें, सोशल टैबू कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। छात्रा-छात्राओं के पियर एडूकेटर के रूप में प्रशिक्षित भी किया गया, जो उक्त मुद्दों पर स्वयं, परिवार व समाज में जागरूकता लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

पाठ्येत्तर क्रियाकलाप

एन.सी.सी. (National Cadet Corps)

महाविद्यालय में वर्ष 2020 से एन.सी.सी. (महिला/पुरुष) की एक यूनिट संचालित है, जो 21 यू.पी. बटालियन एन.सी.सी. बरेली से सम्बद्ध है। महाविद्यालय के एन.सी.सी. कैडेट्स की उपलब्धियों से प्रभावित होकर 21 बटालियन द्वारा महाविद्यालय को 50 अन्य सीट्स प्रदान की गई। महाविद्यालय के एन.सी.सी. कैडेट्स निरन्तर राष्ट्रीय व स्थानीय शिविरों में भाग लेते हैं, जहां उन्होंने विशेष उपलब्धियां भी अर्जित की हैं। ऑनलाईन प्रतिभागिता एवं जन जागरूकता हेतु कैडेट्स का प्रयास विशेष उल्लेखनीय है। पुनीत सागर अभियान, साइक्लोथॉन, अनेकता में एकता, सेव एन्वायरमेंट लिव हेल्दी, हर घर तिरंगा अभियान व रक्तदान जैसे कार्यक्रम में महाविद्यालय के कैडेट्स बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। महाविद्यालय का एक एन.सी.सी. कैडेट थल सेना में तथा 4 कैडेट्स अग्निवीर चयनित हुए हैं। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 19, 40 पर)

एन.एस.एस (N.S.S.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीन इकाईयां संचालित हैं। सत्र 2016-17 में प्रथम, 2017-18 में द्वितीय व 2018-19 में तीसरी इकाई महाविद्यालय को प्राप्त हुई। एन.एस.एस. के स्वयं सेवकों की राष्ट्रीय एकता शिविर (NIC) तथा एडवेंचर कैम्प में निरन्तर प्रतिभागिता रही है। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार महाविद्यालय में एन.एस.एस. के सप्त दिवसीय व एक दिवसीय कैम्प प्रत्येक वर्ष संचालित किये जाते हैं जिसमें स्वयंसेवक अपनी इकाई द्वारा गोद लिए गए गांव में जाकर स्वच्छता अभियान, जन-जागरूकता, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, हस्तनिर्मित उपयोगी वस्तुओं का निर्माण, नुक्कड़ नाटक व सर्वेक्षण कार्य भी करते हैं। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 40 पर)

रोवर-रेंजर

महाविद्यालय में रोवर-रेंजर की दो इकाईयां संचालित हैं। प्रतिवर्ष उनके शिविर व प्रशिक्षण कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। रोवर-रेंजर द्वारा विभिन्न प्रकार की रैलियां निकालकर जन-सामान्य को प्रेरित व जागरूक किया जाता है। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 40 पर)

खेल-कूद

महाविद्यालय के छात्र विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों में आयोजित विविध खेल कूद प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। महाविद्यालय के अन्तर्गत प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अन्तर्विश्वविद्यालयीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पूर्व में जूडो प्रतियोगिता का आयोजन भी महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। महाविद्यालय का एक विद्यार्थी अर्पित गंगवार सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम में चयनित हुआ। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 39 पर)

छात्र–छात्राओं हेतु विशेष लाभ योजना

म.ज्यो.फु.रु. विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति, योग्यता छात्रवृत्तियाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को छात्रवृत्ति, विकलांग छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि।

महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत निम्न छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं:-

1. सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग) 2. पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति (अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)

3. अनु.जाति/अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (समाज कल्याण विभाग) 4. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

उपर्युक्त छात्रवृत्ति फॉर्म भरने हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय 2,50,000(दो लाख 50 हजार रुपये) तथा सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के माता–पिता की वार्षिक आय रु. 2,00,000 (दो लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त छात्रवृत्तियों हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्र/छात्राएँ सम्बन्धित फॉर्म ऑनलाइन भरकर जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, शुल्क की रसीद, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियाँ लगाकर दो प्रतियों में सम्बन्धित लिपिक के पास जमा करें।

नोट:- छात्रवृत्ति लाभ के इच्छुक छात्र/छात्रा महाविद्यालय को सहयोग प्रदान करते हुए निश्चित तिथि के अन्तर्गत अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र महाविद्यालय में सम्बन्धित लिपिक के पास जमा करें।

INSPIRE फैलोशिप – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विज्ञान विषय के विद्यार्थियों को प्रदत्त INSPIRE छात्रवृत्ति में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का चयन होना बड़ी उपलब्धि है। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 20 पर)

महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति

महाविद्यालय में अध्ययनरत जो विद्यार्थी आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. एवं पी.सी.एस. में चयनित होगा उसे प्रबन्ध–तंत्र द्वारा 100000/- (एक लाख रू.) की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जायेगी।

विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थी को महाविद्यालय प्रबंध–तंत्र द्वारा 51000/- (इक्यावन हजार रू.) की धनराशि प्रदान की जायेगी।

वनस्पति विज्ञान विभाग में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. श्रीमती गायत्री देवी जी की स्मृति में उनके पुत्र डा. दुरेश चन्द, निदेशक गंगाशील महाविद्यालय, फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली द्वारा एक–एक हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। सत्र 2022–23 में एम.एस.सी. वनस्पति विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर कु. विनीता यादव एवं बी.एस.सी. तृतीय वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर कु. प्राची सक्सेना को उक्त छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

चित्रकला विभाग में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्व. श्रीमती रेखा गुप्ता जी की स्मृति में उनकी पुत्री डॉ. स्वाति गुप्ता, सहायक आचार्या, चित्रकला विभाग, गंगाशील महाविद्यालय, फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली द्वारा एक–एक हजार रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। सत्र 2022–23 में चित्रकला विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर राजू एवं स्नातक स्तर पर कु. कुमकुम को उक्त छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

मोबाइल व टेबलेट वितरण

उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख योजनाओं में से एक है के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को मोबाइल फोन व टेबलेट प्रदान किये गये। मोबाइल व टेबलेट वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि डा. एम.पी. आर्य, विधायक नवाबगंज, बरेली रहे। जिनकी उपस्थिति में मोबाइल फोन व टेबलेट पाकर सभी प्राप्तकर्ता विद्यार्थी आनन्दित हुये। निश्चित ही यह योजना छात्र–छात्राओं के लिए ऑनलाइन एजूकेशन तथा वैश्विक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सहयोगी सिद्ध होगी। (सम्बन्धित फोटो पृष्ठ सं. 34 पर)

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

1. एम.ओ.यू.– सत्र 2021–22 में महाविद्यालय का साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली, वी.आर.ए.एल. राजकीय महिला महाविद्यालय बरेली एवं आर.एल.एस. राजकीय महिला महाविद्यालय पीलीभीत से शैक्षणिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

2. विविध सेवाओं में चयन :–

(अ) सत्र 2021 में महाविद्यालय के छात्र मो0 मोहसिन का चयन भारतीय थल सेना में हुआ।

(ब) भारतीय सेना में 'अग्निवीर' पद हेतु महाविद्यालय के निम्न एन.सी.सी. कैडेट्स का चयन 2023–24 में हुआ है–

1. अजीम रज़ा, 2. दीपांशु, 3. सचिन, 4. गुफ़रान

(स) महाविद्यालय के निम्न मेधावी छात्रों का चयन 'नीट' परीक्षा के माध्यम से एम.बी.बी.एस. के प्रवेश हेतु हुआ–

1. फखरुद्दीन – शैक्षिक सत्र 2022–23, 2. शिवम गंगवार – शैक्षिक सत्र 2023–24

3. फैलोशिप :– शैक्षिक सत्र 2023–24 में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली इंस्पायर (INSPIRE) फैलोशिप महाविद्यालय के निम्न मेधावी छात्र/छात्राओं का चयन हुआ–

1. कु. अल्पना – बी.एस.सी. जीव विज्ञान
2. कु. हिमांशी – बी.एस.सी. जीव विज्ञान
3. कु. पूजा – बी.एस.सी. जीव विज्ञान
4. कु. रिया – बी.एस.सी. जीव विज्ञान
5. कु. लकी – बी.एस.सी. जीव विज्ञान
6. कु. आरती गंगवार – बी.एस.सी. जीव विज्ञान
7. श्री श्रेयस पाठक – बी.एस.सी. गणित

4. शिविर :– सत्र 2024 में चित्रकला विभाग के छात्र मो. जुनैद का चयन राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आयोजित राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (NIC) में हुआ। शिविर में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मो. जुनैद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

5. NID अहमदाबाद में महाविद्यालय के छात्र सिद्धार्थ का चयन 2017 हुआ।

(अ) रा.से.यो. क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ एवं जयपुर द्वारा बागपत उ.प्र. एवं चित्तौड़गढ़ राजस्थान में दिनांक 24 मई 2022 से 27 मई 2022 तक आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर में मो. असद, भूपेन्द्र, अपूर्वा गंगवार, सरिया नूर एवं आसिम अली ने प्रतिभाग किया एवं आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

(ब) अक्टूबर 2021 में 21 यू.पी. बटालियन बरेली द्वारा मनोहर भूषण इन्टर कालेज में आयोजित कम्बाइनड एन्युअल ट्रेनिंग कैम्प में कैडेट जगतार सिंह को Exercising Command and Control में प्रथम स्थान मिला तथा राजश्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट साइंस एन्ड टैक्टनोलॉजी बरेली में जुलाई 2022 में आयोजित कम्बाइन्ड एन्युअल ट्रेनिंग कैम्प में कैडेट राहुल श्रीवास्तव ने फायरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया एवं कैडेट प्राची ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस कैम्प में सीनियर अण्डर ऑफीसर जगतार सिंह BHM तथा जूनियर अण्डर ऑफिसर अनमोल CHM के रूप में सम्मानित किये गये।

6. शैक्षिक सत्र 2023–24 में महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यक्रम/प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने पर पुरस्कृत किया गया।

(अ) चित्रकला विभाग के पीयूष अग्रवाल ने म.ज्यो.फु.रु.वि.वि. बरेली में आयोजित 'स्टैण्डअप फॉर वूमेन राइट्स' पोस्टर प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

(ब) भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक एण्ड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित 'उमंग' राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता में श्री पीयूष अग्रवाल ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया।

(स) यू.पी. अन्तर्राष्ट्रीय कला रत्नम फाउण्डेशन आर्ट द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में पीयूष अग्रवाल ने प्लाटिनम अवार्ड प्राप्त किया।

अग्निवीर व भारतीय थल सेना में चयनित छात्र

अजीम रज़ा

सचिन कुमार

गुफरान

दीपांशु

मो. मोहसिन

नीट परीक्षा में चयनित छात्र

फखरुद्दीन

शिवम गंगवार

इंस्पायर (INSPIRE) फैलोशिप में चयनित छात्र/छात्रायें

कु. हिमांशी

कु. लक्की

कु. आस्ती

कु. पूजा

कु. अल्पना

कु. रिया

श्रेयश पाठक

अतिथि व्याख्यान

शिक्षक विकास कार्यक्रम

महाविद्यालयीय विशिष्ट नियम

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

- विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत उपस्थिति 75 प्रतिशत से न्यून होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा, जिसके लिए महाविद्यालय का कोई वैधानिक दायित्व नहीं होगा। इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व विद्यार्थी एवं उसके अभिभावकों का ही होगा। अत: विद्यार्थी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित हों।

- विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विशिष्ट कारणों (गंभीर अस्वस्थता आदि) के आधार पर प्राचार्य द्वारा उपस्थिति में अधिक से अधिक 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है एवं कुलपति द्वारा प्राचार्य की संस्तुति पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम होने पर किसी भी दशा में विद्यार्थी को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

- जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित खेलों में भाग लेते हैं उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से कक्षा में उपस्थिति दिये जाने की अनुमति है।

- विद्यार्थी को उपस्थिति-न्यूनता की लिखित सूचना देने का वैधानिक दायित्व महाविद्यालय का नहीं है। विद्यार्थी स्वयं अपनी उपस्थिति के विषय में सतर्क रहें एवं अपने अभिभावकों को सूचित करें।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

- पुस्तकालय के प्रयोग हेतु प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकालय-कार्ड बनवाना अनिवार्य है।
- एक कार्ड पर एक बार में केवल एक ही पुस्तक निर्गत होगी।
- पुस्तकालय में Open Shelf System की भी व्यवस्था है, विद्यार्थी Shelf पर जाकर स्वयं पुस्तकें निकाल सकते हैं।
- साधारणत: पुस्तक 10 दिन के लिए निर्गत होगी जिन पुस्तकों की कमी होगी उनको कम समय के लिए दिया जा सकता है। समय पर पुस्तक न लौटाने पर प्रति पुस्तक 2/- रुपया प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड देना होगा।
- पुस्तक फाड़ने या खराब करने पर बीच से पृष्ठ गायब होने पर विद्यार्थी को उस पुस्तक के स्थान पर नवीन पुस्तक देनी पड़ेगी अथवा उसका निर्धारित मूल्य जमा करना होगा। इसलिए विद्यार्थी पुस्तक निर्गत कराते समय पुस्तक की दशा से पूर्णत: सन्तुष्ट हो लें।
- पुस्तकें निर्गत कराने एवं लौटाने का समय प्रात: 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक का है।
- सत्र समाप्ति से 15 दिन पूर्व विद्यार्थियों को पुस्तकालय कार्ड व पुस्तकें जमा करनी होंगी।
- जो विद्यार्थी अपना पुस्तकालय-कार्ड खो देगा, इसे 20 रुपये प्रति कार्ड दण्डस्वरूप जमा करने होंगे।
- पुस्तक निर्गत कराने के लिए विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र साथ लाना अनिवार्य है क्योंकि पुस्तकालय-कार्ड अहस्तान्तरणीय है।
- विद्यार्थी किसी भी प्रकार के दण्ड/शुल्क स्वरूप धन जमा करते समय रसीद लेना न भूलें।

महाविद्यालयीय सामान्य नियम

1. प्रत्येक विद्यार्थी को अपना परिचय-पत्र प्रतिदिन गले में धारण करना अनिवार्य है। जिसके बिना महाविद्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित होगा। बिना परिचय-पत्र के , महाविद्यालय परिसर में प्रॉक्टोरियल बोर्ड के द्वारा पकड़े गये विद्यार्थी को रुपये 20/- का आर्थिक दण्ड देना होगा।
2. परिचय-पत्र खो जाने पर रुपये 25/- मात्र, शुल्क जमा करने पर ही द्वितीय परिचय-पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
3. प्रवेश आवेदन-पत्र में विषय विचार पूर्वक भरें। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. विद्यार्थी द्वारा प्रवेश पंजीकरण-पत्र, आवेदन-पत्र, परिचय-पत्र तथा परीक्षा आवेदन-पत्र पर एक ही प्रकार के फोटो लगाना अनिवार्य है।
5. विद्यार्थी प्रतिदिन सूचना पट देखें, सूचना पट पर लगाई गई प्रत्येक सूचना विद्यार्थी द्वारा देखी हुई मानी जायेगी।
6. छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन कम से कम एक चक्र पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष में अध्ययन करना अनिवार्य है।
7. विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरने का पूर्ण दायित्व विद्यार्थियों का होगा। यदि वे अनुपस्थित हैं तो उन्हें कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर, निर्धारित समय के अंदर परीक्षा फार्म भरना चाहिए।
8. यदि विद्यार्थी का महाविद्यालय में या बाहर कहीं भी ऐसा व्यवहार रहता है जिससे महाविद्यालय की साख को क्षति पहुँचे तो प्राचार्य को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दें।
9. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास ऐसा एन्ड्रॉयड/स्मार्ट फोन होना आवश्यक है, जिसमें छात्र/छात्रा की अपनी ई-मेल आई.डी. एवं व्हाट्सएप मोबाइल नम्बर सक्रिय हो। महाविद्यालय संबंधी समस्त सूचनाएं, ई-व्याख्यान एवं कुछ निश्चित मात्रा में ई-अध्ययन सामग्री छात्र-छात्राओं द्वारा प्रदान किये गये ई-मेल एड्रेस एवं व्हाट्सएप नम्बर पर प्रेषित की जायेगी। गलत नम्बर देने या नम्बर बदल देने के कारण यदि छात्र/छात्रा को सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए छात्र/छात्रा स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. छात्र/छात्रा को अपने मोबाइल नम्बर के अतिरिक्त अपने माता/पिता का भी एक स्थाई मोबाइल नम्बर देना होगा। माता/पिता के न होने की स्थिति में अभिभावक का स्थाई मोबाईल नम्बर दे सकता है।
11. छात्र/छात्रा द्वारा संचालित मोबाइल में आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच एप का सक्रिय होना आवश्यक है।
12. महाविद्यालय में उपस्थित प्रत्येक छात्र/छात्रा को परस्पर भौतिक दूरी बनाये रखकर अध्ययन करना होगा।
13. महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू है। अत: विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा निश्चित परिधान (ड्रेस) में आना होगा। छात्र महाविद्यालय द्वारा निर्धारित रंग की पैंट-शर्ट, टाई, जूते-मोजे पहनेंगे तथा छात्राएं निर्धारित रंग का सलवार कुर्ता, दुपट्टा तथा जूती/जूते-मोजे पहनेंगी। छात्राओं के अभिभावकों को यदि आपत्ति न हो तो वे भी पैंट-शर्ट, टाई, जूते-मोजे पहन सकती हैं। छात्र/छात्राओं द्वारा आभूषण पहन कर महाविद्यालय में आने पर प्रवेश वर्जित होगा।
14. प्रत्येक छात्र के पैंट की मोहरी 18 इंच से कम नहीं होनी चाहिए तथा पैंट की लम्बाई ऐड़ी के टखने से नीचे होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ड्रेस कोड का उल्लंघन माना जायेगा।
15. प्रवेश प्राप्त प्रत्येक विद्यार्थी पर विवरण पत्रिका में अंकित समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीय नियम लागू होंगे और उनमें किसी प्रकार की छूट सम्भव नहीं होगी।
16. किसी प्रकार का जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
17. किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा (चाहे वह लाइसेंसधारक भी हो) किसी भी प्रकार का शस्त्र कॉलेज में लाना वर्जित है।
18. धूम्रपान व अन्य नशीले पदार्थ (पान, पुड़िया, गुटखा, तम्बाकू) का प्रयोग वर्जित है। पान मसाला खाकर जहाँ-तहाँ दीवारों पर थूकना अपराध माना जायेगा, जिसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
19. महाविद्यालय परिसर में थूकना, गन्दगी करना, छिलके आदि फेंकना तथा अशिष्ट भाषा व हरकत का प्रयोग करना वर्जित है।
20. महाविद्यालय प्रांगण की दीवारों आदि पर लिखना अथवा पोस्टर चिपकाना वर्जित है।
21. महाविद्यालय की संपत्ति को चुराना या क्षति पहुँचाना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
22. परीक्षा सुधार के आधार पर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश के नियम समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किये जाते हैं।

23. विद्यार्थियों द्वारा बाहरी व्यक्तियों का महाविद्यालय परिसर में लाना वर्जित है।

24. छात्र/छात्राओं की विषय समस्याओं के लिए सम्बन्धित विषय में सम्बन्धित प्रवक्ता अधिकृत हैं। आवश्यक समझें तो प्राचार्य से मिलकर समस्या का समाधान कर सकते हैं।

25. महाविद्यालय में पठन-पाठन का उपयुक्त वातावरण बनाए रखना छात्र/छात्राओं का पुनीत दायित्व है।

26. जो छात्र/छात्रा अपने वाहन (साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि) का प्रयोग करेंगे, उन्हें इसकी घोषणा प्रवेश के समय पर ही करनी होगी। साथ ही विद्यार्थी को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

27. विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के मूल्याकंन हेतु प्रत्येक शैक्षिक सत्र में महाविद्यालय अपने स्तर पर विश्वविद्यालय परीक्षा से पूर्व मध्यावधि परीक्षा की व्यवस्था करेगा, जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है।

प्रवेश के समय अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण पत्रों को साथ लाना अनिवार्य है

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंक पत्रों व प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं निर्गमन प्रमाण-पत्र (यदि कॉलेज/विश्वविद्यालय) से आये हैं।
3. चरित्र प्रमाण-पत्र (अन्तिम संस्था के प्राचार्य द्वारा निर्गत) यदि किसी अभ्यर्थी ने व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण-पत्र।
4. अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज के छः छायाचित्र।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति
6. आय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
7. जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति
8. बैंक अकाउन्ट की पासबुक की छायाप्रति
9. सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ अवलोकनार्थ साथ लानी होंगी तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ (दो सेट में) जमा करनी होंगी।
10. विद्यार्थियों की अपनी ई-मेल आई डी होना आवश्यक है। महाविद्यालय सम्बन्धी समस्त सूचनाएँ विद्यार्थी को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जायेंगी, अतः ई-मेल आई डी का सक्रिय रहना अत्यावश्यक है।

हमारी नैतिक प्रकृति
जितनी उन्नत होती है,
उतना ही उच्च हमारा
प्रत्यक्ष अनुभव होता है
और उतनी ही हमारी
इच्छा शक्ति
अधिक बलवती होती है।

- स्वामी विवेकानन्द

महत्वपूर्ण सूचनाएँ

1. स्नातक (बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम.) प्रथम सेमेस्टर में जिन मुख्य (Major) एवं गौण (Minor) विषयों का चयन किया गया है, चतुर्थ सेमेस्टर तक वे यथावत रहेंगे।
2. स्नातक पांचवे एवं छठे सेमेस्टर में गौण (Minor) विषय को छोड़कर मुख्य (Major) विषय यथावत रहेंगे।
3. विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रवेश समिति की संस्तुति पर माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 09.08.2023 के अनुपालन में शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रत्येक वर्ग विषय से इण्टर उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को बी.कॉम. एवं बी.कॉम आनर्स में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

स्नातक/परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत शुल्क जमा नहीं किया जायेगा तो चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके स्थान पर योग्यताक्रम से प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया जायेगा।
2. प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से यह आशा की जाती है कि प्रवेश आवेदन-पत्र की सभी प्रविष्टियाँ/सूचनाएँ सही भरें व सही प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यदि जाँच के दौरान या बाद में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी ने कोई सूचना गलत दी है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश आवेदन-पत्र में विषय विचार पूर्वक सावधानी से भरें। विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. शुल्क जमा करने के पश्चात् छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रपत्र पर समय सारिणी प्रदान की जायेगी। प्राप्त समय सारिणी से छात्र/छात्राएँ अपना नाम सम्बन्धित समय चक्र की उपस्थिति-पंजिका में अवश्य अंकित कराएँ। उपस्थिति-पंजिका में छात्र/छात्रा का नाम अंकित नहीं होने की दशा में छात्र/छात्रा को उसकी उपस्थिति नहीं मिलेगी।
4. यदि कोई प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्रा महाविद्यालय में अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार अथवा महाविद्यालय विरोधी किसी गतिविधि में लिप्त पाये जाते हैं, तो उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
5. स्नातक एवं परास्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप किये जायेंगे।
6. छात्र/छात्रा को उसके द्वारा चयनित विषय मिल सकेंगे या नहीं यह विवेक प्राचार्य का होगा।

नोट:- 1. **स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत निर्देश के अनुरूप किये जायेंगे।**
2. **नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर व मिडटर्म परीक्षा एवं विश्वविद्यालय परीक्षा को विद्यार्थियों द्वारा देना अनिवार्य होगा।**
3. **समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश हेतु अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ण कर लिए जायेंगे।**
4. **यदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्रवेश सम्बन्धी कोई नया नियम प्राप्त होता है तो महाविद्यालय के उक्तांकित नियमों में परिवर्तन संभव होगा।**
5. **एम.एस-सी (गणित, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र) में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण किये जायेंगे।**

स्नातक द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ सेमेस्टर एवं परास्नातक द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. स्नातक द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने पर उसकी अंक तालिकाएँ प्राप्त होने की तिथि से दस दिन के अन्दर, आगामी कक्षा हेतु छात्र/छात्राओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय समस्त वांछित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
2. प्रवेश उन्हीं छात्र/छात्राओं को दिया जायेगा, जिन्होंने इसी महाविद्यालय से संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में स्नातक के प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा दी है एवं परास्नातक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर वर्ष की परीक्षा दी है। विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण एवं बाह्य प्रवेशार्थियों के प्रवेश स्थान शेष रहने पर ही दिये जा सकेंगे। इस प्रकार के प्रवेश विश्वविद्यालय निर्देश के अन्तर्गत ही दिए जायेंगे।
3. निर्धारित तिथि के अनुसार छात्र/छात्रा, महाविद्यालय के कार्यालय से प्रवेश आवेदन-पत्र प्राप्त करें तथा उसको पूर्णरूप से भरकर, वांछित प्रपत्र/अभिलेख जाँच के लिए प्रस्तुत करें।
4. प्रवेश आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि तक शुल्क महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका प्रवेश आवेदन-पत्र निरस्त समझा जायेगा।

एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर-रेंजर में प्रवेश हेतु नियम

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं को एन.सी.सी. (नेशनल कैडेट कोर), एन.एस.एस. (नेशनल सर्विस स्कीम) एवं रोवर रेंजर में से किसी एक में ही प्रवेश प्राप्त हो सकता है।

"सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा, और वो हैं आप खुद।"

-डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

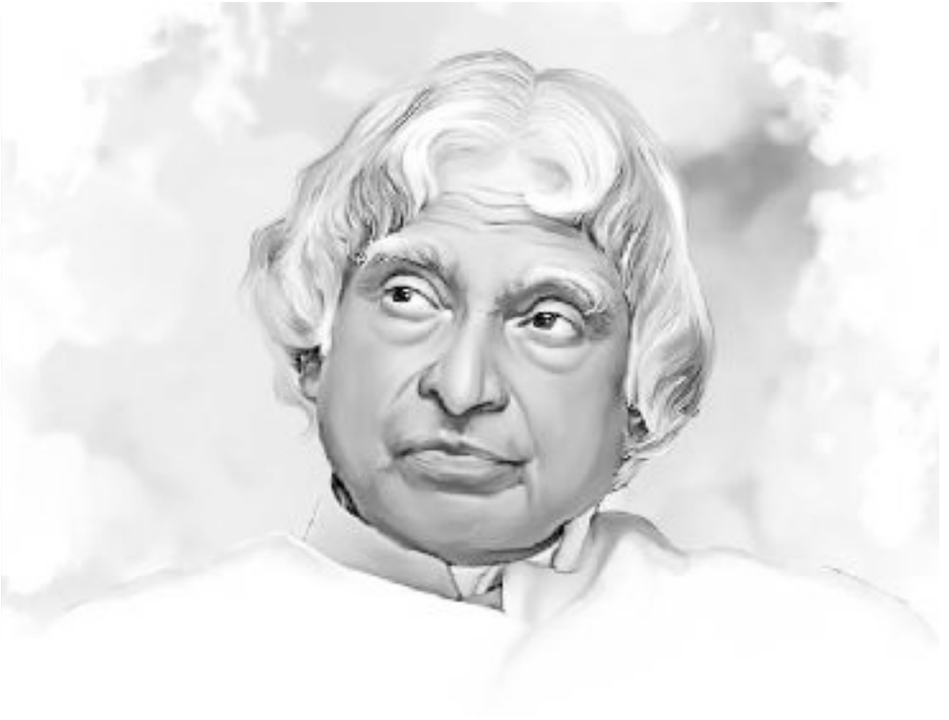

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

प्रवेश नियमावली (परिसर एवम् महाविद्यालयों के लिए)

खण्ड 'क'

शैक्षणिक सत्र 2024-25

1. (क) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 में सभी कक्षाओं के प्रथम वर्ष मे प्रवेश राज्य स्तरीय/वि.वि. स्तरीय प्रवेश परीक्षा अथवा वि. वि. स्तरीय केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे।
   (ख) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रभावी विषय संयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP&2020) एवं उक्त के क्रियान्यन हेतु शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के अनुरूप ही होंगी एवं सत्र 2024-25 में स्नातक प्रथम वर्ष में समस्त प्रवेश उक्त के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे। परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में भी सत्र 2024-25 में समस्त प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे।
2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अर्हता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी। जैसा कि नीचे उल्लेख है।
3. (क)विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह पूर्व कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जिन पाठ्यक्रमों में परीक्षा सुधार/बैक पेपर परीक्षा/पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमें अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धित अध्यादेश के अनुसार होगा।
   (ख)3 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल.एल.बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पर लागू (प्रयोज्य) होगी।
   (ग) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार परीक्षा/बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात् पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अर्ह होना चाहिए।
4. (क) परीक्षार्थियों को बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम. (सेमेस्टर सिस्टम) की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में, एम.ए./एम.एस-सी./एम.कॉम. की परीक्षा अधिकतम 4 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी जिस सत्र में विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो। यह नियम व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू हागे। ।
   (ख) यू0एफ0एम0 के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी।
5. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुन: उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
6. परीक्षार्थी को 4 (क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण/पूर्ण न करने पर पुन: उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रदेश की अनुमति नहीं होगी।
   जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उनकी प्रयोगात्मक परीक्षा उक्त पाठ्यक्रम के अध्यादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न होगी।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 30.09.2022 जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है यथा कोई भी छात्र एक साथ दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकता है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक पाठ्यक्रम नियमित प्रकृति का होगा एवं दूसरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन/व्यक्तिगत मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा।
8. (अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त इस विश्वविद्यालय से पुन: अन्य किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।
   (ब)यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वत: निरस्त हो जाएगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। परन्तु यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् मात्र बी.एड./बी.पी.एड. में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में अभ्यर्थी का नामांकन विश्वविद्यालय में निष्क्रिय रहेगा।
9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पार्ट (भाग एक, दो अथवा तीन) में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा, किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह प्रवेश निम्न के अधीन होगा-
   (क) सम्बन्धित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के संयोजक एवं सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।
   (ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर सकेंगे।
   (ग) यह नियम स्नातकोत्तर कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
   (घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दण्डित छात्र का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।
10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/ अदीब-ए-माहिर/ अदीब-ए-कामिल/ फाज़िल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एवं (10+2+3) होने पर ही परास्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
    (क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्र को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जाएगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात् ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे।

11. शासनादेश सं0 07/2016/720/15-7-2016 शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माना गया है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य किया गया है।
12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में) की बाध्यता नहीं होगी।
13. बी.एड./एम.एड./एल.एल.एम./बी.ई./बी.टेक/बी.पी.एड./बी.एल.एड.व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों से होंगें, जब तक कि राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रक्रिया या नियम निर्धारित न करें।
14. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच.डी. के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक यह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
15. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो। ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो, उसको नियमित अर्थात् संस्थागत छात्र के रूप में अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में यदि इच्छुक हो तो प्रवेश लेने की अनुमति होगी।
17. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता- प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कॉलेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर समान रूप से लागू होगा।
18. एम.एस-सी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान) में प्रवेश के लिए निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।
    (क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों से) अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
    (ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपर्युक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस.सी. और बी.ए. परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो), अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5% प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए 40% होगा।
    (ग) छात्र एम.एस-सी./एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
19. (क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
    (ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी आपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।
    (ग) महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।
    (घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरुद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश अमान्य होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्रसंख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।
    (ड.) जो विद्यार्थी प्राचार्य/ प्रॉक्टोरियल स्टॉफ सहित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागर्दी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
20. एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये प्रवेशार्थी को बी. काम. परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिये। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5 अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने बी.ए./बी.एससी. अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में न लेकर सहायक/गौण विषय के रूप में लिया है, को एम.काम, प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी.ए./बी.एससी. में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा।

21. बी.बी.ए. और बी.सी.ए. विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य है। बी.बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.कॉम और एम.ए, अर्थशास्त्र और बी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एससी गणित और कम्प्यूटर साइंस में भी प्रवेश के लिये अर्ह होंगे। बी.बी.ए./बी.सी.ए. का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है. प्रवेश के लिए नॉन स्ट्रीम श्रेणी के अन्तर्गत अर्ह होंगे।
22. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये पात्र नहीं होंगे।
23. जिन विद्यार्थियों ने जामिया-उर्दू अलीगढ़ से अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
24. जिन अभ्यर्थियों ने यू0पी0 बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
25. उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
26. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी0ए0 एवं एम0ए0 संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।
    स्पष्टीकरण- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी0ए0ड0 में प्रवेश अर्ह हैं। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
27. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एक विषय की परीक्षा दे सकते हैं।
28. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिये अनुमत जब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग अस्थायी/अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
29. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात् जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक वह विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य प्रक्रिया को अनुमत न किया गया हो।
30. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा आवश्यकतानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रणाली से करायी जायेगी। इसकी अधिसूचना (Notification) पृथक से जारी की जायेगी।
31. प्रवेश समिति दिनांक 05.03.2002 के बिन्दु संख्या (1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत् है- ''सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जायेगी।''
32. AIU से मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण बी.टेक. एवं बी. फार्मा उत्तीर्ण छात्र एलएल.बी. में प्रवेश हेतु अर्ह हैं।
33. बी.काम, प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वही नियम लागू होंगे जो कि सामान्य बी.काम पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित है।

खण्ड - ख

विशेष निर्देश :

1. धर्म, जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 संख्या 1191/सत्तर-2-2010-3 (58)/79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में लम्बवत् आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा -

(i) **लम्बवत् आरक्षण :**

पिछड़ा वर्ग	:	समस्त सीटों का 27 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	:	समस्त सीटों का 21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	:	समस्त सीटों का 02 प्रतिशत

(ii) **क्षैतिज आरक्षण :**

क. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख. उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत
ग. शारीरिक रूप से नि:शक्तजनों के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का

	अधिकतम 3 प्रतिशत
घ. महिलाओं के लिये	प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का न्यूनतम 20 प्रतिशत

(iii) आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये । अन्य पिछड़ा वर्ग (noncreamy layer) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

(iv) शासनादेश संख्या 192/सत्तर-7-2019-बी.एड.(00)/2014 टी.सी. दिनांक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/ का-2/19 टी. सी. दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त होंगी एवं 'EWS' श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेंगी एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) शासनादेश संख्या 4004/15-11-88-31581/79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।

4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण, छात्रा के विवाह, माता-पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अथवा अन्य कोई समुचित कारण जिससे कुलपति संतुष्ट हों, के आधार पर अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।

5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी।

6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

7. मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यत: महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते हैं। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।

8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

(अ)	(I)	राष्ट्रीय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय , खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूल में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए भारांक	10 अंक
	(II)	विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
(ब)		विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत, सेवानिवृत्त) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी	10 अंक
(स)	(I)	एन0सी0सी0 के ''सी'' प्रमाण-पत्र अथवा ''जी'' प्रमाण पत्र	10 अंक
	(II)	''बी'' और ''जी प्रथम'' प्रमाण-पत्र के लिए	05 अंक
(द)	(I)	एन0एस0एस0 के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(II)	एन0एस0एस0 का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	05 अंक
(य)	(I)	12 वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/ गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	(II)	प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(III)	भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(IV)	रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोट:- किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी- अर्थात् भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होंगे।

9. स्पोर्ट्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात् जहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिये कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण- बी0एड0 और एम0एड0 कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम0एड0 तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोर्ट्स कोटा मान्य नहीं होगा।

परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय में प्रवेश लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अंतिम वर्ष में जो विषय चुने गये

हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) को सम्मिलित करते हुये योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

10. प्रत्येक वर्ग/विषय से इंटरमीडिएट (कक्षा 12) उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को वाणिज्य संकाय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर/वर्ष में प्रवेश स्वीकृत किये जायेंगे।
11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते हैं।
12. ऐसे छात्र जिन्होंने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
13. एम.ए. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन स्ट्रीम के लिये आरक्षित होंगी। नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य, विधि के स्नातक के छात्र ही मान्य होंगे अर्थात बी.ए., उत्तीर्ण- छात्र ''नॉन स्ट्रीम'' के अन्तर्गत नहीं आयेगा। यदि किसी छात्र ने बी.ए. तृतीय वर्ष में अमुक विषय-नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिये स्ट्रीम नॉन स्ट्रीम दोनों में मान्य नहीं होगा।
14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात् सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय शुल्क एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यत: किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
15. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।
16. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय में नहीं हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्तपोषित महाविद्यालय में हो सकता है।

    स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नहीं कराएगा। सम्बंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापत्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेंगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु संख्या 04 की शर्तें पूरी हो रही हों।

    स्पष्टीकरण- यदि कोई स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 04 की शर्तें उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होगी।
17. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
18. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और यह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है। तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि वह तथ्य छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है। तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
19. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त संख्या 04 पर लिये गये निर्णयानुसार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यू. पी.आर.टी.ओ. यू.), इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो ए.आई.यू. यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी.पी.पी. के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।
20. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ-5-1/2008 (सीपीपी-11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी-NIT) का भारत सरकार के अधिनियम एन.आई. टी. एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तदनुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है। इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनाकं 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)
21. प्रवेश नियमावली में जहाँ-जहाँ न्यूनतम अंकों को योग्यता के लिये निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य है तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नहीं होगे।
22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य स्थापित समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अर्ह माना जाये।

खण्ड - ग

विश्वविद्यालय में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रम-

B.Sc. Home Science प्रवेश के लिये अर्हता में इंटरमीडिएट में सामान्य एवं ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के 45 प्रतिशत अंक एवं एससी/एसटी के छात्रों के 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य होंगे। तभी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह होगा।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

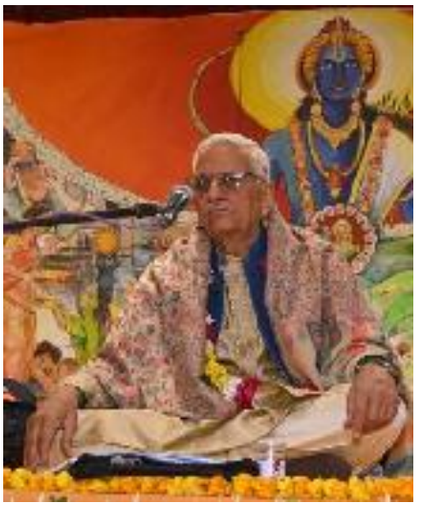

महाविद्यालय में मनाये जाने वाले पर्व एवं दिवस

महाविद्यालय की विभागीय प्रदर्शनियाँ एवं गतिविधियाँ

चित्रकला विभाग

की गतिविधियाँ

राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ

अन्तर्महाविद्यालयीय खेल प्रतियोगिताएँ

एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं रोवर-रेंजर

गंगाशील महाविद्यालय

(सम्बद्ध : म.ज्यो.फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 2 (एफ) एवं 12 (बी) में स्वीकृत

फैजुल्लापुर, नवाबगंज, बरेली (उ.प्र.)

Mob. 07055844442

Website : gangasheelcollege.com | E-mail : gangasheelmahavidiyalay@gmail.com

City Office : A-3, Rampur Garden, Bareilly

Contact : +91 93590 64697